संख्या-02/2022/2495/छप्पन-2021-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 जनवरी, 2022

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ईपी वी0टी0- यू0पी0के0 पर लगे हुए Reduction Gear Box (RGB) Assembly पार्ट नं0 3049010-01 सीरियल नं0-CP-GB-UB0047 पर 2000 Hrs पूर्ण होने पर Clutch Inspection का कार्य कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 477/सी0ए0डी0यू0पी0/इंज(यू0पी0के0)/08/2021 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ईपी वी0टी0- यू0पी0के0 पर लगे हुए Reduction Gear Box (RGB) Assembly पार्ट नं0 3049010-01 सीरियल नं0-CP-GB-UB0047 पर 2000 Hrs पूर्ण होने पर Clutch Inspection का कार्य निर्माता फर्म M/s "Pratt & Whitney, Canada" की सिंगापुर स्थित कार्यशाला में कराये जाने हेतु अनुमानित व्यय 90932.42 यू0एस0 डालर जोकि भारतीय मुद्रा में रू0 78/- प्रति यू०एस० डालर की विनिमय दर से रू0 70,92,729/- (रूपए सत्तर लाख बान्नबे हजार सात सौ उनतीस मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सम्बन्धित फर्म को अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- उपरोक्त प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय हेलीकाप्टर बेल-412 ईपी वी0टी0- यू0पी0के0 पर लगे हुए Reduction Gear Box (RGB) Assembly पार्ट नं0 3049010-01 सीरियल नं0-CP-GB-UB0047 पर 2000 Hrs पूर्ण होने पर Clutch Inspection का कार्य निर्माता फर्म M/s "Pratt & Whitney, Canada" की सिंगापुर स्थित कार्यशाला में कराये जाने हेतु कम्पनी के सिंगापुर स्थित आफिस मेसर्स प्रैट एण्ड विटनी कनाडा (S.E.A) Pte Ltd. Singapore से प्राप्त बजेटरी कोटेशन Reference No. 21-10-001-2 (R2) दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के अनुसार कुल यू0एस0 डालर 90932.42 जो कि रुपए 78/- प्रति डालर की विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में रू0 70,92,729/- (रूपए सत्तर लाख बान्नबे हजार सात सौ उनतीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सम्बन्धित फर्म को अग्रिम आहरण की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

10- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

11- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

12- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

13- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन '' पूँजीगत लेखा लेखाशीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशा0 संख्या-ई-7-3448/दस-2021 दिनांक 10 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

संख्या: 02/2022/2495(1)/छप्पन-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।